GCMS संख्या 2022 / 139
प्रकरण संख्या 100 / 22
खेमशंकर बनाम तहसीलदार भीण्डर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारीभीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 139

प्रकरण संख्या 100 / 22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री खेमशंकर बनाम तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 05.08.2022

1. प्रार्थी श्री खेमशंकर पिता भगवान अहीर निवासी हमेरपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 जरिये तहसीलदार भीण्डर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भोपाखेड़ा, पटवार मण्डल भोपाखेड़ा भू.अ.नि. खैरोदा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदार खेमशंकर पुत्र भगवान हिस्सा 247 / 512 जाति अहीर सा. हमेरपुरा खातेदार दर्ज रेकर्ड है जबकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार नवीन रिकार्ड से पूर्व राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या 71 की आराजी संख्या 515, 516 रकबा 3–03 बीघा भूमि खेमशंकर पिता भगवान हिस्सा 19 / 32 जाति अहीर सा हमेरपुरा के नाम दर्ज रेकर्ड है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा बिना कोई आदेश के प्रार्थीगण के राजस्व रेकर्ड में त्रुटि कर दी गई है जिसकों दुरस्त करने का आदेश करने हेतु निवेदन है किया है।

2. उक्त प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर ने जॉच कर प्रस्ताव रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा भोपाखेड़ा, पटवार मण्डल भोपाखेड़ा भू.अ.नि. खैरोदा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में खातेदार खेमशंकर पुत्र भगवान हिस्सा 247 / 512 जाति अहीर सा. हमेरपुरा खातेदार दर्ज रेकर्ड है भूमि के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पूर्व [illegible] जमाबन्दी संवत 2051–54 के खाता संख्या 71 की आराजी संख्या 515 रकबा 1–[illegible] बीघा, [illegible] आराजी संख्या 516 रकबा 1–07 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3–03 बीघा से [illegible] है। भू–प्रबन्धन से पूर्व जमाबन्दी सवत् 2051–54 के खाता संख्या 71 [illegible] आराजी संख्या 515 रकबा 1–16 बीघा, आराजी संख्या 516 रकबा 1–07 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3–03 बीघा भूमि में जरिये बिकाव के नामान्तरण संख्या 366, 367 निर्णय दिनांक 13.09.1994 से क्रेतागण कालुलाल पिता रामा जणवा सा. अमरपुरा, खेमशंकर पिता भगवान अहीर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर,जिला–उदयपुर(राज.)

Scanned by CamScanner

सोहनलाल पिता ठाकुरलाल ब्राह्मण, हिरालाल पिता लक्ष्मण अहिर निवासियान हमेरपुरा। हिस्सा 19/32 के नाम दर्ज हुई एवं नामान्तरण संख्या 451 निर्णय दिनांक 28.11.2000 द्वारा जरिये बिकाव के हिस्सा 57/128 खेमशंकर पिता भगवान अहिर नि0 हमेरपुरा के नाम दर्ज हुआ जबकि खेमशंकर पिता भगवान अहिर नि. हमेरपुरा के नाम 19/128 हिस्सा पूर्व से ही होने से कुल हिस्सा 19/32 हो गया किन्तु भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के समय 19/32 हिस्से को खेमशंकर पिता भगवान अहिर नि. हमेरपुरा के बजाय कालुलाल पिता रामा जणवा, 19/512, खेमशंकर पिता भगवान अहिर 19/512, खेमशंकर पिता भगवान अहिर, 57/128, सोहनलाल पिता ठाकूरलाल ब्राह्मण 19/512 हिरालाल पिता लक्ष्मण अहिर 19/512 निवासियान हमेरपुरा के नाम दर्ज कर दिया गया जो पूर्व नामान्तरण संख्या 451 के अनुसार सही नहीं है।

3. अतः तहसीलदार भीण्डर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा भोपाखेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि में दर्ज कालूलाल पिता रामा जणवा 19/512, सोहनलाल पिता ठाकुरलाल ब्राह्मण 19/512, हिरालाल पिता लक्ष्मण अहिर 19/512 निवासियान हमेरपुरा के नाम विलोपित कर सम्पूर्ण हिस्सा 19/32 को खेमशंकर पिता भगवान अहीर निवासी हमेरपुरा के नाम इन्द्राज दुरस्ती हेतु मय अनुशंषा रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा की गई बहस सूनी एवं उस पर मनन किया तथा अप्रार्थी तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2051-54 एवं इससे बनी वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078-81 तथा मिलान क्षेत्रफल का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया तथा माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों कों भू-प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज./92/6 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा भोपाखेड़ा पटवार मण्डल भोपाखेड़ा भू.अ.नि. खैरोदा, तहसील भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2051-54 के खाता संख्या 71 की आराजी संख्या 515 रकबा 1-16 बीघा, आराजी संख्या 516 रकबा 1-07 बीघा भूमि पेमा पिता हरीराम हिस्सा 1/4, डालु पिता हरीराम हिस्सा 1/4 तथा देवा, भेरा पिता पेमा हिस्सा 1/2 जाति गाडरी के नाम दर्ज थी जो नामान्तरण संख्या 366 निर्णय दिनांक 13.09.1994 बिकाव से पेमा पिता हरीराम के दर्ज 1/4 हिस्से में से 3/32

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:55:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हिस्सा एवं नामान्तरण संख्या 367 निर्णय दिनांक 13.09.1994 बिकाव से देवा भेरा पिता पेमा के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण सोहनलाल पिता ठाकूरलाल ब्राह्म्ण, कालुलाल पिता रामा जणवा, खेमशंकर पिता भगवान अहीर, हिरालाल पिता लक्ष्मण अहीर सा. हमेरपुरा 19/32 हिस्सा रेकर्ड में दर्ज हुआ एवं इसके पश्चात् नामान्तरण संख्या 451 निर्णय दिनांक 28.11.2000 बिकाव से श्री सोहनलाल पिता ठाकूरलाल ब्राह्म्ण, कालुलाल पिता रामा जणवा, हिरालाल पिता लक्ष्मण अहीर हिस्सा 57/128 क्रेता श्री खेमशंकर पिता भगवान हिस्सा 57/128 रेकर्ड में दर्ज हुआ एवं नामान्तरण संख्या 366 एवं 367 निर्णय दिनांक 13.09.1994 से 19/128 हिस्सा खातेदार श्री खेमशंकर पिता भगवान अहीर के नाम पूर्व में ही रेकर्ड में दर्ज है जिससे खातेदार श्री खेमशंकर पिता भगवान अहीर के 19/32 हिस्सा रेकर्ड में दर्ज है।

5. उपरोक्त प्रकरण में मिलान खसरा के अवलोकन से भू-प्रबन्धन से पूर्व की जमाबन्दी संवत् 2051-54 की आराजी संख्या 515, 516 रकबा 3-03 बीघा भूमि से वर्ममान जमाबन्दी सवत् 2078-81 के नवीन आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 किता 5 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि बने है। जिसमें मौजा भोपाखेड़ा, पटवार मण्डल भोपाखेड़ा भू.अ.नि. खैरोदा, तहसील भीण्डर की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078-81 के खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि कालुलाल पुत्र रामा जणवा, खेमशंकर पुत्र भगवान अहीर, सोहनलाल पुत्र ठाकुरलाल ब्राह्म्ण, हिरालाल पुत्र लक्ष्मण अहीर हिस्सा 19/128 हिस्सा बराबर एवं खेमशंकर पुत्र भगवान अहीर हिस्सा 57/128 एवं कन्हैयालाल पुत्र गोपीलाल, गंगाराम पुत्र वरदा, भवरलाल पुत्र गोपीलाल, मांगीलाल पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/32 जाति अहीर, देवीलाल, भेरूलाल पुत्र पेमा हिस्सा 1/32 जाति गाडरी, पनालाल, भंवरलाल पुत्र भगवान हिस्सा 11/32 जाति अहीर के नाम दर्ज है।

6. जबकि भू.प्रबन्धन से पूर्व जमाबन्दी संवत् 2051-54 के खाता संख्या 71 की आराजी संख्या 515 रकबा 1-16 बीघा, आराजी संख्या 516 रकबा 1-07 बीघा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 3-03 बीघा भूमि में बेचान के नामान्तरण संख्या 366, 367 निर्णय दिनांक 13.09.1994 से क्रेतागण कालुलाल पिता रामा जण[illegible]रपुरा, खेमशंकर पिता भगवान अहीर, सोहनलाल पिता [illegible] ब्राह्म्ण, [illegible] पिता लक्ष्मण अहिर निवासियान हमेरपुरा हिस्सा 19/32 [illegible] ता खेमशकंर जो पुनः बेचान के नामान्तरण संख्या 451 निर्णय दिनांक 28.11.2000 द्वारा खातेदार कालुलाल पिता रामा जणवा सा. अमरपुरा सोहनलाल पिता ठाकुरलाल ब्राह्म्ण, हिरालाल पिता लक्ष्मण अहिर निवासियान हमेरपुरा के नाम दर्ज 57/128 भूमि क्रेता खेमशंकर पिता भगवानलाल अहीर हिस्सा 57/128 खरीदा गया एवं पूर्व से खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:55:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

खेमशंकर पिता भगवानलाल अहीर के नाम 19/128 भूमि दर्ज है जिससे उक्त भूमि में खेमशंकर पिता भगवानलाल अहीर के कुल 19/32 भूमि दर्ज हुई। जबकि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि में भू–प्रवन्धन विभाग द्वारा खातेदार खेमशंकर पिता भगवान अहीर का 19/32 हिस्सा दर्ज करने के बजाय 57/128 एवं 19/ 512 हिस्सा ही दर्ज किया गया शेष 57/512 हिस्सा कालुलाल पिता रामा जणवा सा. अमरपुरा, सोहनलाल पिता ठाकुरलाल ब्राह्मण, हिरालाल पिता लक्ष्मण अहिर के नाम दर्ज कर दिया गया जिसे शुद्व किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि खेमंशकर पिता भगवानलाल अहीर के नाम वर्तमान के सभी हिस्सों को मिलाकर कुल 19/32 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (जिला–उदयपुर (राज.))

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर मौजा भोपाखेड़ा, पटवार मण्डल भोपाखेड़ा भू.अ.नि. खैरोदा, तहसील भीण्डर की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि में दर्ज कालुलाल पुत्र रामा जणवा, सोहनलाल पुत्र ठाकुरलाल ब्राह्मण, हिरालाल पुत्र लक्ष्मण अहीर हिस्सा 57/512 के बजाय खेमशंकर पुत्र भगवान अहीर सा. हमेरपुरा के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त भूमि में खेमशंकर पुत्र भगवान अहीर के नाम दर्ज पूर्व में हिस्सा 57/128 एवं 19/512 हिस्से के साथ 57/512 हिस्सा भी खेमशंकर पिता भगवानलाल अहीर के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार खाता संख्या 260 की आराजी संख्या 921, 923, 924, 925, 926 कुल रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि खेमशंकर पिता भगवानलाल अहीर के नाम वर्तमान के सभी हिस्सों को मिलाकर कुल 19/32 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:55:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner